निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 138/2024
दायरा दिनांकः—15.10.2024
निर्णय दिनांकः— 14.5.25

उनवान

1. रमेश आयु 46 वर्ष पुत्र रामरतन जाति लोधा निवासी ग्राम पटना तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

1. रामरतन आयु 60 वर्ष पुत्र मोतीलाल जाति लोधा निवासी ग्राम पटना तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
2. प्रकाश पुत्र रामरतन जाति लोधा निवासी ग्राम पटना तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
3. इन्द्रसिंह पुत्र रामरतन जाति लोधा निवासी ग्राम पटना तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
4. भू– आवाप्ति अधिकारी बारां जिला बारां (राज0)
5. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा जिला बारां (राज0)

वाद पत्र अन्तर्गत धारा,53,88,89,91,188,आर0 टी0 एक्ट0

निर्णय दिनांकः— 14.5.25

अभिभाषक उपस्थितः—1. श्री उमाशंकर गोस्वामी — वादी

अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा,53,88,89,91,188 आर.टी.एक्ट विरूद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि खाता संख्या 86 के खसरा नम्बर 318/2 की रकबा 0.1138 है०, खसरा नम्बर 319/3 की रकबा 0.1614 है० एंव खाता संख्या 73 के खसरा नम्बर 317 की रकबा 0.0126 है० खाता संख्या 7 के खसरा नम्बर 342 की रकबा 1.4289 है०, खसरा नम्बर 413 की रकबा 0.1138है0 खसरा नम्बर 414 की रकबा 0.5690 है० खसरा नम्बर 415 की रकबा 1.0242 है० एंव खाता संख्या 5 की खसरा नम्बर 351 की रकबा 0.1517 है0, एंव खाता संख्या 82 की खसरा नम्बर 1/4 की रकबा 0.6323 है० एंव खाता संख्या 70 की खसरा नम्बर 28/235 की रकबा 1.5174 है0 आराजी स्थित है जिसमे खाता संख्या 70 व खाता संख्या 82 की आराजी ग्राम अमीनपुरा में स्थित है। जबकि शेष आराजी ग्राम पटना में स्थित है। विवादित आराजी वादी के दादाजी मोतीलाल के खातेदारी की आराजी है। मोतीलाल जी मृत्यु के बाद विवादित

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

आराजी रामरतन के खाते दर्ज हुई। इस तरह विवादित आराजी पैतृक आराजी है पैतृक आराजी होने के कारण विवादित आराजी पर वादी एंव प्रतिवादीगण का बराबर हक एंव हिस्सा कानूनन है। वादी एंव प्रतिवादीगण 2 ता 3 के माता पिता रामरतन व सम्पतबाई अलग रहकर अपना जीवन निवर्हन कर रहे है। प्रतिवादी कम 2 व 3 ने प्रतिवादी कम 1 को इस तरह बरगला रखा है कि वह वादी से बिना किसी युक्तीयुक्त कारण से वादी से बोलचाल नहीं रखते है एंव जमीन का जो भी पैसा आता है। प्रतिवादी कम 2 व 3 को ही देते है। वादी को किसी प्रकार का कोई रूपया पैसा नही देते है और न ही अन्य किसी प्रकार की कोई सहायता करते है। जबकि वादी अपने माता पिता के लिए हारी बिमारी एंव अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करने व सहायता करने एव सेवा करने पर तैयार एंव तत्पर रहता है। प्रतिवादी कम 1 ने पैतृक आराजी मे से कुछ हिस्सा स्वयं के जीवन निर्वाह हेतु बचाकर शेष आराजी का वादी एंव प्रतिवादी कम 2 व ३ के मध्य विभाजन भौतिक रूप से कर दिया है। बाट बराबर कर दिया। जिसका वादी एंव प्रतिवादीगण अपने हिस्सो पर काबिज है एंव काश्त करते चले आ रहे है। वर्तमान मे मूण्डक्या गांव मे अंधेरी नदी पर बांध का निर्माण होना प्रस्तावित है। जिसे हेतु राजस्थान सरकार ने भूमि अधिग्रहण करने का खाखा तैयार कर लिया है। एंव भूमि अधिग्रहण हेतु सर्वे कर लिया गया है एंव अतिशीघ्र भूमि अधिग्रहण कर संबंधित खातेदार को मुआवजा देना प्रस्तावित है। 9. क्योकि प्रतिवादी कम 1 ता 3 ने आपस मे सलाह मशवरा कर कर मिलीभगत यह तय कर लिया कि क्योकि सम्पूर्ण आराजी प्रतिवादी कम 1 की खातेदारी में है जिस कारण भूमि अधिग्रहण किये जाने के पश्चात मुआवजा प्रतिवादी कम 1 के नाम भूमि आवाप्ति अधिकारी द्वारा जारी किया जावेगा। इस तरह विवादित आराजी का सम्पूर्ण भुगतान प्रतिवादी कम 1 के पक्ष में हो जायेगा। और प्रतिवादी कम 1 द्वारा वादी को उसके हिस्से का भुगतान नही करने से वादी कानूनन अपने दादा की आराजी मे जन्म से अपना अधिकार एंव हक रखता है उससे महरूम हो जावेगा। और वादी के हक एंव अधिकारो का कानूनन उल्लंघन होगा। वादी ने प्रतिवादी कम 1 ता 3 को कहा कि या तो आप मुझे आश्वस्त करो कि मुआवजा राशि प्राप्त होने के बाद मुआवजा राशि समान रूप से तीनो भाईयो एंव आपके मध्य विभाजित कर दोगे या फिर मेरे हिस्से की आराजी मेरे खाते दर्ज करवा दो क्योकि दादाजी की जमीन मे मेरा भी बराबर का हक व हिस्सा है किन्तु प्रतिवादी कम 2 व 3 के बहकावे में आकर प्रतिवादी कम 1 ने वादी से स्पष्ट इन्कार कर दिया है कि मैं खातेदार हूँ मेरी मर्जी होगी उसको मुआवजा राशि का भुगतान करूंगा। एंव मेरी मर्जी नही होगी। उसको नही करूंगा। वादी द्वारा बहुत मिन्नते करने के बाद भी प्रतिवादी कम 2 व 3 के बहकावे में आ जाने से प्रतिवादी कम 1 वादी को मुआवजा राशि के विभाजन हेतु तैयार नही हुये ऐसी सूरत मे वादी के पास माननीय न्यायालय मे वाद पेश कर व प्रतिवादी कम 1 को स्थाई निषेधाज्ञा से निषिध कराने के अलावा एंव वादी के हिस्से की आराजी का बंटवारा कराकर स्वयं के हिस्से पर खातेदार कृषक घोषित कराने के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नही रहा है। इसलिए यह वाद माननीय न्यायालय मे प्रस्तुत किया जा रहा है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण बावजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नही होने के कारण उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की जाती है। वादी द्वारा

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम पटना सम्वत् 2076–79 खाता संख्या 5 नकल जमाबन्दी ग्राम अमीनपुरा सम्वत् 2073–76 खाता संख्या 70 नकल जमाबन्दी ग्राम अमीनपुरा सम्वत् 2073–76 खाता संख्या 82 नकल जमाबन्दी ग्राम पटना सम्वत् 2076–79 खाता संख्या 86 नकल जमाबन्दी ग्राम पटना सम्वत् 2076–79 खाता संख्या 77 नकल जमाबन्दी ग्राम पटना सम्वत् 2076–79 खाता संख्या 7 नकल खतोनी बन्दोवस्त सम्वत् 2012–31 खाता संख्या 57 नकल खतोनी बन्दोवस्त सम्वत् 2012–31 खाता संख्या 61 पेश की गई। साक्ष्य वादी में PW1 रमेश PW2 सम्वत बाई के बयान करायें गयें।

बहस अभिभाषक वादी सुनी गई बहस के दौरान वकील वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। वकील वादी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम अमीनपुरा एवं पटना तहसील छबडा में स्थित है। जो दादा मोतीलाल के खातेदारी की आराजी है मोतीलाल की मृत्यु के बाद उक्त भूमि रामरतन के खातेदारी में दर्ज हुई विवादित आराजी पैत्रक आराजी है जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण का बराबर हक व हिस्सा है वादी एवं प्रतिवादी क्रम 2,3 के पिता प्रतिवादी क्रम 1 रामरतन है प्रतिवादी क्रम 1 ने सम्पूर्ण भूमि प्रतिवादी क्रम 2 व 3 को दे रखी है भूमि से प्राप्त समस्त आय प्रतिवादी क्रम 2 व 3 के पास रहती है प्रतिवादी क्रम 1 ने कुछ हिस्सा अपने पास रख कर शेष भूमि में से वादी एवं प्रतिवादी क्रम 2 व 3 के मध्य बराकर बटवारा कर रखा है वादी एवं प्रतिवादी उसी आधार पर काबिज काश्त चले आ रहे है वर्तमान में बांध का निर्माण होना है भूमि अधिग्रहण करने हेतु सर्वे कर लिया है अधिग्रहण की गई भूमि का मुआवजा सम्बन्धित खातेदार को दिया जाना है प्रतिवादी क्रम 1 के खातेदारी की भूमि है मुआवजा प्रतिवादी क्रम 1 को मिलना है प्रतिवादी क्रम 1 वादी को मुआवजा राशि देकर सम्पूर्ण मुआवजा प्रतिवादी क्रम 2 व 3 को देना इसलिए वादी अपने हिस्से की भूमि का खातेदारी अधिकार एवं बटवारा कराना चाहता है वादी पैत्रक आराजी से अपना हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी है वादी का वाद स्वीकार फरमाया जावें।

बहस अभिभाषक वादी सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम पटना सम्वत् 2076–79 खाता संख्या 5 में प्रतिवादी क्रम 1 रामरतन का हिस्सा 1/12 दर्ज है ग्राम अमीनपुरा की आराजी खाता संख्या 70 में प्रतिवादी क्रम 1 रामरतन का हिस्सा 1/12 दर्ज है ग्राम अमीनपुरा की आराजी खाता संख्या 82 रामरतन पुत्र मोती के खातेदारी में दर्ज है नकल जमाबन्दी ग्राम पटना सम्वत् 2076–79 खाता संख्या 86 में रामरतन पुत्र मोतीलाल का नाम दर्ज है इसी प्रकार ग्राम पटना की आराजी खाता संख्या 77 में रामरतन का 1/6 हिस्सा एवं खाता संख्या 7 में रामरतन का हिस्सा 1/12 दर्ज है नकल खतोनी बन्दोवस्त सम्वत् 2012–31 में बिशना पुत्र मोती, खतोनी बन्दोवस्त सम्वत् 2012–31 खाता संख्या 57 में मोती पुत्र शोबक्स एवं नकल खतोनी बन्दोवस्त सम्वत् 2012–31 खाता संख्या 61 में हरल्या व मोती, बिशना धन्ना पुत्र शोबक्स दर्ज है।

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य/सबूतो/दस्तावेजों के आधार पर चाहा गया अनुतोष का निम्नानुसार निस्तारण किया जाता है। :-

→ वादी द्वारा ग्राम पटना का बन्दोबसत से रिकार्ड प्रस्तुत कर पैतृक सम्पत्ति साबित की है जिसमें वादी खातेदारी अधिकरों की घोषणा का अधिकार रखता है। ग्राम अमीनपुरा की भूमि के सम्बन्ध में वादी द्वारा आवश्यक साक्ष्य/दस्तावेज पेश नही किए गए है जिससे यह साबित हो कि यह भूमि पैतृक है। चुँकि ग्राम अमीनपूरा की भूमि में वादी पैतृक सम्पत्ति साबित करने में विफल रहे है। इसलिए इसमें खातेदारी अधिकरों की घोषणा का अनुतोष प्रदान नही किया जा सकता है।

→ वादी द्वारा अपनी भूमि का बटवारा चाहा गया है परन्तु वादी द्वारा समस्त सहखातेदारों को पार्टी नही बनाया है जबकि विभाजन के बाद में सहखातेदार आवश्यक पक्षकार है। अतः विभाजन का अनुतोष प्रदान नही किया जा सकता है। उपरोक्त के क्रम में वादी का वाद आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा वादी को ग्राम पटना की उक्त आराजी में खातेदार कृषक घोषित किया जाना न्यायोचित है।

::. क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार वादी का वाद आंशिक स्वीकार किया जाता है विवादित आराजी वाके ग्राम पटना तहसील छबडा के खसरा नम्बर 351 रकबा 0.1517 है0 खसरा नम्बर 318/2 रकबा 0.1138 है0 खसरा नम्बर 319/3 रकबा 0.1644 है0 खसरा नम्बर 317 रकबा 0.0216 है0 खसरा नम्बर 342 रकबा 1.4289 है0 खसरा नम्बर 413 रकबा 0.1138 है0 खसरा नम्बर 414 रकबा 0.5690 है0 खसरा नम्बर 415 रकबा 1.0242 है0 में रामरतन के खातेदारी एवं हिस्से की आराजी में वादी को 1/4 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। तद्नुरूप डिक्री पर्चा जारी हों।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
आर.ए.एस.
छबडा (बारां)
उपखण्ड अधिकारी, छबडा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छबडा जिला बारां (राज0)

डिक्री

...संख्या 138/2024	धारा 53,88,89,91,188,आर टी एक्ट	निर्णय दिनांकः– 14.5.25

समक्षः **श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, छबडा जिला बारां**

उपस्थिति :अभिभाषकवादीः–श्री उमाशंकर गोस्वामी | अभिभाषक प्रतिवादीः–

वाद शीर्षक

उनवान

1. रमेश आयु 46 वर्ष पुत्र रामरतन जाति लोधा निवासी ग्राम पटना तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

1. रामरतन आयु 60 वर्ष पुत्र मोतीलाल जाति लोधा निवासी ग्राम पटना तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
2. प्रकाश पुत्र रामरतन जाति लोधा निवासी ग्राम पटना तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
3. इन्द्रसिंह पुत्र रामरतन जाति लोधा निवासी ग्राम पटना तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
4. भू– आवाप्ति अधिकारी बारां जिला बारां (राज0)
5. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा जिला बारां (राज0)

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तदनुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि

वादी का वाद आंशिक स्वीकार किया जाता है विवादित आराजी वाके ग्राम पटना तहसील छबडा के खसरा नम्बर 351 रकबा 0.1517 है0 खसरा नम्बर 318/2 रकबा 0.1138 है0 खसरा नम्बर 319/3 रकबा 0.1644 है0 खसरा नम्बर 317 रकबा 0.0216 है0 खसरा नम्बर 342 रकबा 1.4289 है0 खसरा नम्बर 413 रकबा 0.1138 है0 खसरा नम्बर 414 रकबा 0.5690 है0 खसरा नम्बर 415 रकबा 1.0242 है0 में रामरतन के खातेदारी एवं हिस्से की आराजी में वादी को 1/4 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है।

साथ ही नियमानुसार .... रू0 का व्ययानुतोष .... द्वारा .... को प्रदान किया जाए।
उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एव न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 14.5.25 को निर्गत किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
छबडा जिला–बारां

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

व्ययानुतोष

क्र.सं.	व्यय मद	वादी	प्रतिवादी
1.	वदपत्र/लिखित कथन		
2.	अभिभाषकपत्र (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थनापत्र (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
5.	पारिश्रमिकअभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीसकमिश्नर		
8.	अन्य/क्षतिपूर्ति		
9.	ब्याज (:)		
10.	योग		